

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
कार्यालय—आदेश

का०आ०सं०— वि० प्रा० (II) निजी¹—19/2009/ 38 /पटना, दिनांक - 13-2-019

श्री धर्मेन्द्र कुमार मुरारी, निम्न वर्गीय लिपिक, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी को दिनांक 01.12.18 को IPC की धारा 290 एवं बिहार मद्य निषेध व उत्पाद अधिनियम की धारा 37 (C) के तहत अधिरोपित कर हिरासत में लिये जाने के कारण इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (क) के आलोक में दिनांक 01.12.18 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

(2) हिरासत अवधि से मुक्त होने के उपरांत श्री धर्मेन्द्र कुमार मुरारी दिनांक 12.12.18 का प्राचार्य, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी के समक्ष योगदान दिए हैं। योगदान को स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) (ग) के तहत पुनः निलंबित किया जाता है।


(3) निलंबन की अवधि में श्री धर्मेन्द्र कुमार मुरारी, निम्नवर्गीय लिपिक का मुख्यालय राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर रहेगा।

(4) निलम्बन अवधि में श्री धर्मेन्द्र कुमार मुरारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा।


(5) विभागीय कार्यवाही संचालित करने संबंधी आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा।


विशेष सचिव—सह—निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (II) निजी¹—19/2009/ 567 /पटना, दिनांक - 13-2-019
प्रतिलिपि — कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यादेश प्रेषित।


विशेष सचिव—सह—निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक — वि० प्रा० (II) निजी¹—19/2009/ 567 /पटना, दिनांक - 13-2-019
प्रतिलिपि — प्राचार्य, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर/श्री धर्मेन्द्र कुमार मुरारी, निम्नवर्गीय लिपिक, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यादेश प्रेषित।


विशेष सचिव—सह—निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।